राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- 9(4)राज-6/2005 /20 जयपुर, दिनांक:- 8.8.2005

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 तथा राजस्थान भू-राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम 1958 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन तथा उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बकाया राशि वसूली हेतु किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
8. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0पत्र के विशेषांक दि0 8.8.2005 में प्रकाशनार्थ।
9. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग
13. अति0 निबन्धक, राजस्व मण्डल, (वित्त एवं लेखा) अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव